राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	जगन्नाथ बनाम बंशी 317/2025 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	①	
24/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 04/03/2026 को पेश हो।	
04/03/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि जयनारायण एवं अन्य ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक के समक्ष एक वाद बाबत इस्तकरार हक़ व तकासमा का पेश किया, जिस पर विचाराधीन वाद में दिनांक 13/05/1981 को पक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश किया गया। पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 13/08/1984 को तस्दीक किया गया। तस्दीकशुदा राजीनामें को दिनांक 31.03.86 को मुताबिक राजीनामा वादी का वादपत्र प्राथमिक डिकी किया गया था। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक द्वारा पारित प्राथमिक डिकी दिनांक 31/03/1986 के संबंध में गिरदावर जोबनेर द्वारा पत्र दिनांक 05/05/1987 से मार्गदर्शन चाहा गया तथा वादी अधिवक्ता ने दिनांक 07/09/1987 को अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. में प्रार्थना पत्र पेश कर प्राथमिक डिकी दिनांक 31/03/1986 में अशुद्धि रहने से मूल राजीनामें के अनुसार संशोधित डिकी जारी करने हेतु निवेदन किया गया वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. स्वीकार किया जाकर दिनांक 12.10.87 को संशोधित प्राथमिक डिकी जारी की गयी तथा दिनांक 24.10.89 को दोनों पक्षों ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्राथमिक डिकी दिनांक 12.10.87 के संबंध में कोई आपत्ति नही होना स्वीकार किया। आदेशिका दिनांक 05/03/2004 में कई पक्षकारान् द्वारा दौराने दावा भूमि को बेचान कर देने से भूमि का बेचान करने वाले पक्षकारान् के हिस्से में से भूमि कम करने का आदेश जारी किया गया। इस आदेश को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक द्वारा पुनः दिनांक 23/06/2005 को पुष्ट किया गया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक द्वारा दिनाकं 16/01/2.006 ग्राम रामपुरा के खसरा न0 5/1 रकबा 52 बीघा की सीमा तक पूर्व आदेश दिनांक 05/03/2004 में आशिंक संशोधन किया गया। दिनांक 12/10/1987 को पारित संशोधित प्राथमिक डिकी में से विवादग्रस्त आराजी में से कुछ हिस्सा बेचान हो जाने से तथा राजस्व रिकॉर्ड में उनके नाम दर्ज न होने से दिनांक 05.03.04 को इस संबंध में पक्षकारान वकीलों की बहस सुनी गयी। जिस पर सभी पक्षकारान् के हिस्सें दर्शाते हुए दिनांक 05.03.04 को आदेश पारित किया गया एवं नक्शें कुरेजात भेजने हेतु तहसीलदार को लिखा गया। प्रतिवादी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध	

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	जगन्नाथ बनाम बंशी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3/7/2025	(2)	

एक निगरानी याचिका सं. 1330/04 माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की जो दिनांक 08.04.10 को नोन कम्पलाईन्स मे खारिज की गयी। बाजदायरी प्रार्थना पत्र पेश होने पर नजरसानी प्रार्थना पत्र सं. 2009/2010 दिनाक 22/04/2010 को दायर किया गया। उक्त नजरसानी प्रार्थना पत्र दिनांक 06.05.10 को खारिज किया गया तथा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर की एकलपीठ में रिट याचिका सं. 15294/2010 पेश की गई जिसे दिनांक 30.03.12 को खारिज कर दिया गया। इसके पश्चात् पत्रावली विचारण न्यायालय में कार्यवाही होने पर प्रतिवादी द्वारा दिनांक 19.10.10 को एक प्रा०पत्र अन्तर्गत धारा 151,152,153 तथा आर्डर 22 रूल 18 (2) सी.पी.सी. का पेश किया गया जो विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 26.10.10 को खारिज किया गया। जिसके विरुद्ध प्रतिवादीगण द्वारा मान्य राजस्व मण्डल अजमेर के यहा रिविजन पिटीशन सं. 6423/10 प्रस्तुत की गयी। दिनांक 17.01.12 को माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर सांभरलेक के आदेश दिनांक 26.10.10 को निरस्त कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में रिट पिटीशन सं. 1615/12 प्रस्तुत हुई जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा राजस्व मण्डल राज. द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.01.12 को निरस्त करते हुए रिविजन पिटिशन सं 6423/2010 को नये सिरें से निर्णित करने हेतु राजस्व मण्डल अजमेर को पत्रावली प्रति प्रेषित करने का निर्णय दिनांक 10/04/2012 को पारित किया गया। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 13.12.13 को विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 05.03.04 को कन्फर्म करते हुए विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 26.10.10 को आंशिक स्वीकार किया गया। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.12.13 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट पिटीशन सं0 346/14 पेश होने पर माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 19.03.15 को राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.12.13 को अपास्त करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिकी दिनांक 31.03.86 व संशोधित प्राथमिक डिकी दिनांक 12.10.87 के अनुसार अन्तिम निस्तारण करने हेतु पत्रावली विचारण न्यायालय को प्रति प्रेषित की गयी। हस्तानान्तरण प्रा.पत्र पेश होने पर यह पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश दिनांक 22.09.15 को विचारण हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक में इन निर्देशों के साथ प्राप्त हुयी कि पक्षकारान को सुनकर वाद का 1 माह में निस्तारण किया जावें। जिस पर दोनों पक्षों को

राजस्व अपील प्राधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	जगन्नाथ बनाम बंशी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	317/2025 (3)	

सुना गया पत्रावली में प्राप्त नक्शें कुरेजात के संबंध में किसी भी पक्षकार द्वारा लिखित में कोई आपत्ति पेश नहीं की। जिस पर यह वाद मुताबिक नक्शें कुरेजात तैयार दिनांक 05.10.10 के अनुसार वादी का वाद दिनांक 17.11.2015 को अन्तिम डिकी किया गया था। जिसकी अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के समक्ष अपील सं. 658/2015 उनवानी रामू बनाम बंशी पेश की गयी। जिसे दिनांक 24.10.2018 को निर्णीत्त करते हुए न्यायालय सहायक कलक्टर, सांभरलेक के निर्णय दिनांक 17.11.2015 को निरस्त कर दिया गया। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय दिनांक 24.10.2018 की अपील माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील संख्या 7608/2018 उनवानी बंशी बनाम रामू तथा एक अन्य अपील 560/2019 रामू बनाम बंशी पेश की गयी। जिसका माननीय न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा निर्णय दिनांक 19.06.2019 को किया गया। उक्त निर्णय में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के निर्णय दिनांक 24.10.2018 को निरस्त किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है वे कुरेजात प्रस्तावों पर पूर्व में प्राप्त आपत्तियों जिनका निस्तारण नहीं हुआ है को पुनः उभय पक्ष को सुनकर आपत्तियों का निस्तारण करते हुए पुनः विधिसम्मत एवं नियमानुसार अंतिम डिक्री पारित करें। उक्त निर्णय की अपील माननीय उच्च न्यायालय जयपुर पीठ में एस.बी. सिविल रिट पीटीशन संख्या 21797/2019. एस.बी.सिविल रिट पीटीशन संख्या 13774/2019 तथा एस.बी. सिविल रिट पीटीशन संख्या 11689/2019 दायर की गई जिसकी सुनवाई करते हुए निर्णय दिनांक 24.01.2023 को निर्णय पारित किया गया निर्णय के बिन्दू संख्या 01 में उल्लेखित किया की संबंधित उपखण्ड अधिकारी राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 19.06.2019 के निर्देशों के अनुसार निर्णय की सूचना प्राप्त होने से 6 माह की अवधि में अंतिम निर्णय पारित करें। बिन्दु सं. 2 में विवादित संपति एवं रिकॉर्ड की अंतिम डिकी पारित हाने तक यथा स्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किया गया।

प्रतिवादीगण प्रहलाद शर्मा तथा पुरूषोतम शर्मा द्वारा पृथक-पृथक प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी जोबनेर के पत्रांक राजस्व/2023/210 दिनांक 30.01.2023 व पत्रांक राजस्व / 2023/370 दिनांक 14/02/2023 द्वारा पत्रावली पूर्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक से मंगवाये जाने पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभरलेक के पत्रांक रीडर/2023/163 दिनांक 23.02.2023 से पत्रावली अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	317/2025 **जगन्नाथ बनाम बंशी** हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज (4)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर में भिजवायी गयी जो अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर को दिनांक 17.03.2023 को प्राप्त हुई। जिस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गयी। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट निर्णय व डिक्री दिनांक 31/07/2023 पारित करते हुये वादी का वाद डिक्री फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान उठाई गयी आपत्तियां उचित प्रतीत होती है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसील से प्राप्त कुर्रेजात में विसगतियाँ विधमान होकर प्रतिवादी संख्या 15 की क्रयशुदा भूमि की खातेदारी समाप्त कर दी गयी तथा अन्य प्रतिवादी के हिस्से में भी परिवर्तन कर दिया गया तथा जिस प्राथमिक डिक्री के परिपेक्ष्य में कुर्रेजात तैयार किये गये, उसके अनुरूप कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार नही की गयी है तथा ना ही पक्षकारान के मध्य हुये राजीनामे का समुचित संज्ञान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लिया गया है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त विधिक त्रुटीयो एवं राजीनामे का समुचित संज्ञान एवं विधिसम्मत विवेचन किये बगैर उन्हें अस्वीकार कर त्रुटीपूर्ण कुर्रेजात के आधार पर ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी किया जाना जाहिर होता है | ऐसी स्थिति में उभयपक्षकारान को आपत्तियो को सुनकर उनका विधिसम्मत निस्तारण करते हुये प्राथमिक निर्णय व डिक्री की अनुपालना में विधिसम्मत कुर्रेजात पुन: प्राप्त कर पक्षकारान को आपत्ति का अवसर प्रदान कर विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित्त समझा जाता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 31/07/2023 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान की आपत्तियो पर सुनवाई कर उसका विधिसम्मत निस्तारण करते हुये प्रकरण में पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री को संशोधित कर उसकी अनुपालना में विधिसम्मत कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करवाया जाना सुनिश्चित करे एवं कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त होने पर पक्षकारान को आपत्ति प्रस्तुत करने का समुचित

राजस्व अपील प्राधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

जगन्नाथ बनाम बंशी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3/7/2025	(5)	

अवसर प्रदान कर प्राप्त आपत्तियो का विधिसम्मत एवं विवेचनात्मक निस्तारण करते हुये विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे | तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 04/03/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर